

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. एफ 1-11-2011-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय-श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में उप-नियम (4) में, खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(पांच) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/04/2013/1/3, दिनांक 6 मार्च 2013 एवं 14 अगस्त 2014 में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसरण में आरक्षकों के 30 प्रतिशत पद होमगार्ड स्वयं सेवियों के लिए, जिन्होंने होमगार्ड स्वयंसेवी के रूप 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आरक्षित रहेंगे, जो कि होरीजेन्टल और कम्पार्टमेंटवाइज होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.

2. विद्यमान अनुसूची-तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिकतम आयु-सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा शारीरिक मापदण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिवहन विभाग.	1. परिवहन उप निरीक्षक.	21 वर्ष	40 वर्ष	(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष. (दो) मोटर साइकिल/मोटर/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. (तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है. (चार) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए. (पांच) सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 84 से.मी. (बिना फुलाए) और 89 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (छह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (सात) महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.55 मीटर होना चाहिए. सीने का माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगा. (आठ) अभ्यर्थी की दोनो आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से 6/12 होना चाहिए. उसमें रंगों को पहचानने की क्षमता होना चाहिए.
	2. परिवहनयान परिवहन उप निरीक्षक.	21 वर्ष	40 वर्ष	(एक) ऑटोमोबाइल/मेकेनिकल विषय में उपाधि अथवा किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल/मेकेनिकल विषय में डिप्लोमा. (दो) मोटर साइकिल/मोटर/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. (तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है. (चार) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए. (पांच) सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 84 से.मी. (बिना फुलाए) और 89 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (छह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (सात) महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.55 मीटर होना चाहिए. सीने का माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगा. (आठ) अभ्यर्थी की दोनो आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से 6/12 होना चाहिए. उसमें रंगों को पहचानने की क्षमता होना चाहिए.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. परिवहन आरक्षक.	21 वर्ष	40 वर्ष	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल (बोर्ड) से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र 10+2 परीक्षा के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण. (दो) मोटर साइकिल/मोटर/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. (तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है. (चार) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए. (पांच) सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 84 से.मी. (बिना फुलाए) और 89 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (छह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (सात) महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.55 मीटर होना चाहिए. सीने का माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगा. (आठ) अभ्यर्थी की दोनो आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से 6/12 होना चाहिए. उसमें रंगों को पहचानने की क्षमता होना चाहिए.	
4. वाहन चालक	21 वर्ष	40 वर्ष	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल (बोर्ड) से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र 10+2 परीक्षा के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण. (दो) मोटर साइकिल/मोटर/भारी मालयान/भारी यात्रीयान चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. (तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है. (चार) अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए. (पांच) सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीना 84 से.मी. (बिना फुलाए) और 89 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (छह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.60 मीटर तथा सीना 76 से.मी. (बिना फुलाए) और 81 से.मी. (फुलाकर) होना चाहिए. (सात) महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.55 मीटर होना चाहिए. सीने का माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगा. (आठ) अभ्यर्थी की दोनो आंखों की सामान्य दृष्टि अर्थात् 6/9 तथा एक आंख से 6/12 होना चाहिए. उसमें रंगों को पहचानने की क्षमता होना चाहिए.	

नोट :-आयु सीमा के संबंध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संशोधन इन नियमों पर लागू होंगे, इस प्रयोजन के लिये पृथक् से संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th January 2017

No. F-1-11-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in Madhya Pradesh Transport Department sub -ordinate (Class III Executive) Service Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDEMENTS

In the said rules,—

1. In rule 8, in sub-rule (4), after clause (iv), the following clause shall be added, namely :—

- (v) "In pursuance of directions contained in General Administration Department's Memo No. C-3-04-2013-1-3, dated 6th March, 2013 and 14th August, 2014, 30% posts of Constables shall be reserved for the Home Guard Volunteers completing 3 years of service as Home Guard Volunteers, which shall be horizontal and compartment wise."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJEEV DUBEY, Add. Secy.

2. For the existing schedule III, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

Age and qualifications of Persons to be Recruited Directly

Name of Department (1)	Name of Post (2)	Minumum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Precribed Educational Qualifications and Physical Criteria (5)
Transport Department.	1. Transport Sub-Inspector.	21 years	40 years	<p>(i) Graduate from any recognized university or equivalent.</p> <p>(ii) Driving License to drive Motorcycle/Motor/Heavy Goods Vehicle/Heavy Passenger Vehicle is essential.</p> <p>(iii) One year diploma in computer from any recognized Institute of Central Government or State Government is compulsory.</p> <p>(iv) the candidate must possess a good Physical and Mental fitness.</p> <p>(v) The candidate of General Category and other Backward Class must possess 1.68 metre height and 84 cm. Chest (unexpanded) and 89 cm. (expanded).</p> <p>(vi) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. Chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(vii) Women candidates must possess 1.55 metre height. Chest measurement shall not be applicable to women candidates.</p> <p>(viii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He/She should be able to recognized colours.</p>
	2. Transport Vehicle Transport Sub-Inspector.	21 years	40 years	<p>(i) Degree in automobile/Mechanical or Graduate in any subject with Automobile/Mechanical diploma from any recognized university.</p> <p>(ii) Driving License to drive Motorcycle/Motor/Heavy Goods Vehicle/Heavy Passenger Vehicle is essential.</p> <p>(iii) One year diploma in computer from any recognized Institute of Central Government or State Government is compulsory.</p> <p>(iv) the candidate must possess a good Physical and Mental fitness.</p> <p>(v) The candidate of General Category and other Backward Class must possess 1.68 metre height and 84 cm. Chest (unexpanded) and 89 cm. (expanded).</p> <p>(vi) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. Chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded).</p> <p>(vii) Women candidates must possess 1.55 metre height. Chest measurement shall not be applicable to women candidates.</p> <p>(viii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He/She should be able to recognized colours.</p>
	3. Transport Constable.	21 years	40 years	<p>(i) Passed 12th class from a recognized Board under Higher Secondary School Certificate in 10+2 pattern.</p> <p>(ii) Driving License to drive Motorcycle/Motor/Heavy Goods Vehicle/Heavy Passenger Vehicle is essential.</p> <p>(iii) One year diploma in computer from any recognized Institute of Central Government or State Government is compulsory.</p> <p>(iv) the candidate must possess a good Physical and Mental fitness.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(v) The candidate of General Category and other Backward Class must possess 1.68 metre height and 84 cm. Chest (unexpanded) and 89 cm. (expanded).
				(vi) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. Chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded).
				(vii) Women candidates must possess 1.55 metre height. Chest measurement shall not be applicable to women candidates.
				(viii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He/She should be able to recognized colours.
4. Driver	21 years	40 years		(i) Passed 12 th class from a recognized Board under Higher Secondary School Certificate in 10+2 pattern.
				(ii) Driving License to drive Motorcycle/Motor/Heavy Goods Vehicle/Heavy Passenger Vehicle is essential.
				(iii) One year diploma in computer from any recognized Institute of Central Government or State Government is compulsory.
				(iv) the candidate must possess a good Physical and Mental fitness.
				(v) The candidate of General Category and other Backward Class must possess 1.68 metre height and 84 cm. Chest (unexpanded) and 89 cm. (expanded).
				(vi) The candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must possess 1.60 metre height and 76 cm. Chest (unexpanded) and 81 cm. (expanded).
				(vii) Women candidates must possess 1.55 metre height. Chest measurement shall not be applicable to women candidates.
				(viii) Candidate should possess normal vision 6/9 in both eyes and 6/12 in one eye. He/She should be able to recognized colours.

Note :—In respect of age limit, the amendments issued by the General Administration Department shall be applicable to these rules, no separate amendment shall be required for this purpose.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJEEV DUBEY, Addl. Secy.